अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 41/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. मुन्नालाल सैनी पुत्र स्व॰ श्री रामनारायण सैनी
2. श्रीमती संतोष पत्नी श्री मुन्नालाल सैनी

जाति माली निवासीगण 23 लाल कोठी, सहकार मार्ग, टिन्नी टॉय स्कूल के पास, जयपुर, पुलिस थाना ज्योति नगर, जयपुर ।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. हेमचन्द्र सैनी पुत्र श्री मुन्नालाल सैनी जाति माली
2. श्रीमती निशा पत्नी श्री हेमचन्द्र सैनी जाति माली

निवासीगण 23 लाल कोठी, सहकार मार्ग, टिन्नी टॉय स्कूल के पास जयपुर, पुलिस थाना ज्योति नगर, जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 29.09.2022 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण संख्या 11/2022 ब उनवानी मुन्नालाल सैनी बनाम हेमचन्द्र सैनी व अन्य

उपस्थितः–

1. अपीलान्ट्स मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय **दिनांक 13.02.2024**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या ब उनवानी 11/2022 ब उनवानी मुन्नालाल सैनी बनाम हेमचन्द्र सैनी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2022 से व्यथित हो कर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। प्रत्यर्थी 1 व 2 मय प्रतिनिधि उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 01 अपीलार्थीगण का पुत्र व प्रत्यर्थी संख्या 02 प्रत्यर्थी संख्या 01 की पत्नी एवं अपीलर्थीगण की

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पुत्रवधु है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के कृत्यों से परेशान होकर अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अपीलार्थी संख्या एक की स्व अर्जित सम्पत्ति प्लाट नम्बर 23 लालकोठी सहकार मार्ग जयपुर से बेदखल करने, भरण पोषण राशि दिलाये जाने एवं प्रत्यर्थीगण को लडाई झगडा गाली गलौच व मारपीट नहीं करने के लिए पाबन्द करने के सान्दर्भ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4, 5, 20(2) 23 सपठित धारा 24 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 के तहत प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अपीलाधीन आदेश से केवल प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थीगण से लडाई झगड़ा, गाली गलौच व मारपीट नहीं करने के लिए पाबन्द किया गया है अन्य चाहे गये अनुतोष जिनका अपीलार्थीगण हकदार थे, नहीं दिलाये गये । अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थीगण की स्व अर्जित सम्पत्ति से बेदखल करने, अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 1 से 15,000/–रूपये प्रति माह भरण पोषण, ईलाज व दवाईयों आदि के दिये जाने एवं प्रत्यर्थीगण किसी प्रकार की मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना अपीलार्थीगण को ना देवे, ना ही कोई गाली गलौच करे, ना ही उनकी शान्ति भंग करे, ना ही उनके शान्तिपूर्ण निवास व सम्पत्ति के उपयोग मे किसी प्रकार की मजामहत पैदा करने के आदेश फरमावें।

5. प्रत्यर्थीगण ने लिखित बस पेश कर अपीलार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रत्यर्थीगण का विवाह वर्ष 2013 में हुआ था उस वक्त सभी बाकलीवाल भवन पंडित शिवदीन जी का रास्ता, किशनपोल जयपुर पर किराये पर निवास करते थे। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्रीमती निशा सैनी, सन्नी एकेडमी स्कूल दवा बाजार जयपुर मे प्राईवेट नौकरी कर आय अर्जित करती थी। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा सोची समझी साजिश के तहत आरम्भ से ही प्रत्यर्थी संख्या 2 की आय को अपने पास जमा कर मकान बनाने की कहीं जाकर प्रत्यर्थी संख्या 2 की आय के अतिरिक्त गहने इत्यादि अपने पास जमा किये हुये थे। प्रार्थीगण का व्यवहार प्रारम्भ से ही प्रत्यर्थी संख्या 2 के प्रति ठीक नहीं रहा है जिस कारण प्रत्यर्थीगण वर्ष 2019 में अपीलार्थीगण के अत्याचारों से परेशान हो कर अलग किराये के मकान पर रहना शुरू कर दिया, किन्तु अपीलार्थीगण के मन मे आरम्भ से ही खोट एवं बदनियती पूर्वक व्यवहार रहने के कारण वर्ष 2020 में अपीलार्थीण ने सोची समझी साजिस के तहत राजीनामा कर मकान बनवाया जाकर उसमे राजीखुशी रहने की कह कर प्रत्यर्थीगण को बाकलीवाल भवन पंडित शिवदन जी का रास्ता किशनपोल जयपुर ले आये। तत्पश्चात अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थीगण से सोची समझी साजिश के तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 की जमा पूंजी एवं गहने बेच कर उक्त मकान संख्या 23 सहकार मार्ग लालकोठी जयपुर का निर्माण करवाया जाकर उक्त मकान में निवास करना आरम्भ कर दिया। जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपने पिता से भी उधार राशि प्राप्त की जाकर उक्त मकान के निर्माण मे लगाया हुआ है इसके अतिरिक्त प्रत्यथी संख्या 01 द्वारा भी उक्त मकान के बिजली पानी कनेक्शन मे राशि व्यय की गई है। तत्पश्चात अपीलार्थीगण द्वारा अपनी आय के लिए उक्त मकान पर एक दुकान का निर्माण करवाया गया जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपने दुकान मालिक से राशि 1,00,000/– रूपये उधार लिया जाकर अपीलार्थीगण के लिए हलवाई की दुकान का निर्माण करवाया । अपीलार्थीगण द्वारा अपनी सोची समझी साजिश मे सफल होने के पश्चात यदाकदा प्रत्यर्थीगण को उक्त मकान से निकालने के लिए ऐसी हरकते आरम्भ कर दी जो किसी भी महिला के लिए काफी शर्मनाक होती है । जिससे प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्व एक प्रथम सूचना रिपार्ट संख्या 56/2022 माननीय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम सख्या 9 जयपुर महानगर प्रथम के यहां विचाराधीन है। इसके पश्चात भी

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण को घर से निकालने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 पर बिना किसी करण झूंठी रिपोर्ट पुसिल थाना ज्योति नगर जपयुर मे दर्ज करवाई । अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण के विरूद्व बिना कारण लगभग 5 से 7 बार झूंठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई जिसमें से अंतिम रिपोर्ट कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण मे विचाराधीन है। उक्त मकान को बनाने में प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनी हिस्सें की सम्पूर्ण सम्पत्ति एवं उधार राशि लगायी हुई है । आज के समय प्रत्यर्थीगण पूर्ण रूप से कर्जे से घिरे हुये है प्रत्यर्थी संख्या 2 वर्तमान में कोइ कार्य नहीं कर रही है एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 कपडे की दुकान में कार्य कर मात्र 18,000/– रूपये प्रति माह आय अर्जित करता है। जिसमें ये 5000/– रूपये लोन की किश्त जाने के पश्चात 13000/– रूपये शेष रह जाते है, जिसमें प्रत्यर्थीगण दो बच्चों की स्कूल फीस ट्यूशन फीस एवं अन्य भरण पोषण के साथ घरेलू खर्च पूरे भी नही हो पाते है जबकि प्रत्यथीर्गण द्वारा अपीलार्थीगण को जो दुकान खुलवायी गई थी उससे अपीलार्थीगण को मासिक लगभग 25–30 हजार रूपये की आय अर्जित होती है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी जो मौका स्थल पर उपस्थित होकर रिर्पोट एकत्रित कर न्यायालय में पेश की थी। जिसमे मौका कमिश्नर द्वारा अपीलार्थी की दुकान होना एवं दुकान से अच्छी आय अर्जित होना जाहिर किया गया था। साथ ही कोर्ट कमिश्नर द्वारा सम्पूर्ण मकान पर अपीलार्थीगण का कब्जा होना बताया गया था जबकि प्रत्यर्त्थीगण एक कमरे में ही सारा काम कर रह रहे है। जिसमें रसोई भी उक्त कमरे में सम्मलित है। प्रत्यर्थीगण इस समय पूर्ण रूप से कर्जदार है एवं अन्य कोई आय का स्त्रोत नहीं है ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी को घर से बेधर किया जाता है अथवा कोई राशि का आदेश प्रदान किया जाता है तो प्रत्यर्थीगण का जीवन अत्यन्त दूभर एवं कष्टदायी हो जायेगा। अतः अपील खारिज कर प्रत्यर्थीगण के हक में आदेश फरमावे।

6. उभय पक्ष ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर दो अनुतोष चाहे है। प्रथम अपीलार्थी ने 15000/–रूपया प्रति माह भरण पोषण, ईलाज व दवाईयों आदि के दिलवाये जाने का अनुतोष चाहा है। जबकि अधिनियम में केवल 10 हजार रूपये तक दिलाये जाने का प्रावधान है । अपीलार्थी संख्या एक के पास दुकान है। प्रत्यर्थीगण कपडे की दुकान पर नोकरी करता है जहां से 18000/– रूपये आय प्राप्त करना स्वीकार किया है। अपीलार्थीगण का भरण पोषण का अनुतोष स्वकार किया जाता है। प्रत्यर्थी सख्या 1 पर अन्य जिम्मेदारियां भी इसलिए 2000/– रूपया अक्षरे दो हजार रूपये प्रतिमाह अपीलार्थीगण द्वारा बैंक खाता नम्बर बताये जाने के पश्चात बैंक खाते के माध्यम से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भुगतान करे। द्वितीय, प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी की स्व अर्जित सम्पत्ति मकान नम्बर 23 लाल कोठी सहकार मार्ग जयपुर से बेदखल करने का अनुतोष चाहा है। अधिनियम में वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति की सुरक्षा किये जाने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 23 यह उपबन्ध करती है कि जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, वहां सम्पत्ति इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा या असम्यक् असर के अधीन किया गया माना

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जावेगा। धारा 23 में दान द्वारा या अन्यथा (Otherwise) सम्पत्ति का अन्तरण किया जाना शामिल है। जिसमें लिखित व मौखिक अन्तरण भी हो सकता है। इस सम्बध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में बेदखली बाबत निर्णय पारित किये गये है। इसलिए अपीलार्थीगण का यह अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित है। फलस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।

8. अपीलार्थिया के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नम्बर 23 लाल कोठी सहकार मार्ग जयपुर से प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाता है। अपीलार्थिया के उक्त मकान में रहने में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। अपीलार्थीगण के साथ सद्व्यवहार करने व किसी प्रकार से गाली गलौच नहीं करने हेतु प्रत्यर्थीगण 1 व 2 को पाबन्द किया जाता है।

आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकरी जयपुर प्रथम को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 13.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner